बच्चे और हमारी जिम्मेवारी

बच्चों के अधिकार

(संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को पारित)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

बच्चों के अधिकार

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को पारित

प्रस्तावना

इस समझौते में शामिल देश यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों के अनुसार समूचे मानव-समुदाय की अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान और अहरणीय अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता, न्याय और शांति का आधार है।

यह समझते हुए कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र को मानने वाले राष्ट्रों ने मूलभूत मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा तथा सम्मान के प्रति आस्था व्यक्त की है तथा व्यापक स्वाधीनता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है।

यह मानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तथा मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में यह घोषणा की है और

सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनीतिक अथवा अन्य राय, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्गम, संपत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना इस घोषणा और प्रसंविदाओं में प्रदत्त अधिकार और स्वाधीनताएं प्राप्त हैं।

इस बात को पुनः स्मरण करते हुए मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है।

इस बात पर सहमत होते हुए कि परिवार समाज का मूलभूत समूह है और इस के सभी सदस्यों; विशेषतः बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए इसे आवश्यक संरक्षरण और सहायता मिलनी चाहिए ताकि यह समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सके।

यह मानते हुए कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए, उसे परिवार के बीच खुशी, प्रेम और आपसी समझ-बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए।

यह समझते हुए कि बच्चों को समाज में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ जीने को तैयार किया जाना चाहिए और उस का लालन-पालन संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के आदर्शों की भावना, खासतौर से शांति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वाधीनता, समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

यह याद रखते हुए बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1942 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा और फिर 20 नंवबर 1959 को महासभा द्वारा पारित बाल अधिकारों की घोषणा व्यक्त की गई; इसे मानव अधिकारों की विश्व-व्यापी घोषणा, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदा (विशेषत: अनुच्छेद 23 तथा 24 में), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (विशेषत: अनुच्छेद 10 में), तथा बच्चों के कल्याण से जुड़ी विशिष्ट एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संबद्ध विधानों और प्रपत्रों में मान्यता दी गई;

बाल अधिकार घोषणा में कही गई इस बात को याद रखते हुए कि ''शारीरिक तथा मानसिक रूप में

अपरिपक्व होने के कारण, बच्चे को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है, इसमें जन्म से पूर्व तथा बाद में भी समुचित कानूनी संरक्षरण शामिल है।''

माता-पिता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा पालन और गोद लेने-देने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विशेष संदर्भ में बच्चे के संरक्षण और कल्याण से संबद्ध सामाजिक और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा, बच्चों के मामले में न्याय प्रणाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (पेइचिंग नियमों) और आपात् स्थिति तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के बारे में घोषणा को फिर याद करते हुए,

यह समझते हुए कि विश्व के सभी देशों में अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में अनेक बच्चे रह रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है,

बच्चों के संरक्षण और सुसंगत विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, खासतौर से

विकासशील देशों में, बच्चों के जीने की स्थितियों में सुधार के काम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को समझते हुए, निम्न बातों पर सहमत हुए:

भाग 1

अनुच्छेद 1

इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में, बच्चे से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मनुष्य से है बशर्ते कि बच्चे पर प्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत, बच्चा इस उम्र से पहले वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता।

अनुच्छेद 2

1. इस समझौते में शामिल अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे के लिए, बच्चे अथवा उसके माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक की जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक तथा अन्य विचार, राष्ट्रीय, जातीय अथवा सामाजिक उद्गम, संपत्ति, विकलांगता, जन्म और हैसियत के किसी भी भेदभाव के बिना इस समझौते में प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करेंगें और इन्हें सुनिश्चित करेंगें।

2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के सभी उचित उपाय करेंगें कि बच्चे के माता-पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा परिवार-जनों की हैसियत, गतिविधियों, व्यक्त विचारों अथवा विश्वासों के कारण बच्चे को किसी भी प्रकार का भेदभाव या दंड न झेलना पड़े।

अनुच्छेद 3

1. बच्चों से संबद्ध सभी कार्यों, चाहे वे निजी अथवा सार्वजनिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं, अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों अथवा विधायी निकायों द्वारा किये जाएं, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर सबसे पहले से ध्यान दिया जाएगा।

2. समझौते में शामिल देश बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगें और ऐसा करने में उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे और इस काम के लिए सभी उपयुक्त विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करेंगे।

3. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं, सेवाएं और सुविधाएं, कर्मचारियों की संख्या, उपयुक्तता और उचित निरीक्षण के मामले में सक्षम अधिकारियों द्वारा खास तौर से सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद 4

इस समझौते में स्वीकृत अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए समझौते में शामिल देश सभी उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय करेंगे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए समझौते में शामिल देश अपने उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग करेंगे और आवश्यक होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे में ऐसा करेंगे।

अनुच्छेद 5

समझौते में शामिल देश माता-पिता अथवा (जहाँ लागू हो) स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार विस्तारित परिवार अथवा समुदाय के सदस्यों, कानूनी अभिभावकों अथवा बच्चे के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार अन्य

व्यक्तियों के ऐसे दायित्वों, अधिकारों और कर्तव्यों का, बच्चे की उभरती क्षमताओं के अनुरूप, सम्मान करेंगे, जिन दायित्वों, अधिकारों और कर्तव्यों से इस समझौते में स्वीकार किए गए अधिकारों का बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने में उचित दिशा और निर्देश मिलते हैं।

अनुच्छेद 6

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि हर बच्चे को जीने का जन्मजात अधिकार है।

2. समझौते में शामिल देश बच्चों के जीवित रहने और विकास को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 7

1. जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे का पंजीकरण करा लिया जाएगा और जन्म से ही उसे अपना नाम होने, एक राष्ट्रीयता प्राप्त करने तथा जहाँ तक संभव हो, माता-पिता द्वारा उचित देखभाल किए जाने तथा यह जानने का अधिकार होगा कि उसकी देखभाल हो रही है।

2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों और सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधानों को मानने के दायित्वों के अन्तर्गत बच्चों को ये अधिकार मिल सकें, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब बच्चा राष्ट्रीयता से विहीन हो जाए।

अनुच्छेद 8

1. समझौते में शामिल देश विधि-सम्मत रूप से राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक सम्बन्धों सहित बच्चे की अस्मिता के अधिकार का सम्मान करेंगे और इसमें कोई अवैध हस्तक्षेप नहीं होने देंगे।

2. अगर किसी बच्चे को उसकी अस्मिता के कुछ या सभी घटकों से गैर कानूनी तरीके से वंचित किया गया हो तो समझौते में शामिल देश उसकी अस्मिता को जल्दी से जल्दी बहाल करने के लिए उपयुक्त सहायता और संरक्षण प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 9

1. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि माता-पिता की इच्छा के खिलाफ बच्चा उनसे

अलग न किया जाए, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जब सक्षम अधिकारी प्रयोज्य कानून और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत न्यायिक समीक्षा के बाद निर्धारित करें कि किसी बच्चे का माता-पिता से अलग रहना उसके सर्वोत्तम हित में है। ऐसा निर्धारण ऐसे विशिष्ट मामले में आवश्यक हो सकता है जब माता-पिता द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार अथवा उसकी अपेक्षा की जाए अथवा माता-पिता के अलग-अलग रहने की स्थिति में बच्चे के निवास-स्थान के बारे में फैसला करना अनिवार्य हो जाए।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के दौरान, इसमें भाग लेने के इच्छुक सभी पक्षों को कार्यवाही में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा।

3. समझौते में शामिल देश माता-पिता दोनों से या किसी एक से अलग रखे गए बच्चे के इस अधिकार का सम्मान करेंगे कि वह माता और पिता दोनों से नियमित आधार पर व्यक्तिगत सम्बन्ध

और सीधा सम्पर्क रख सके, बशर्ते कि ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हितों के प्रतिकूल न हो।

4. अगर समझौते में शामिल देश की किसी कार्रवाई जैसे नजरबंदी, कैद, देशनिकाला, निर्वासन अथवा मृत्यु (राज्य की हिरासत के दौरान किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु सहित) के कारण माता-पिता या इनमें से किसी एक को बच्चे से अलग होना पड़ता है तो समझौते में शामिल देश, अनुरोध किए जाने पर, माता-पिता, बच्चे अथवा उचित होने पर परिवार के अन्य सदस्य को परिवार से अलग सदस्य (सदस्यों) के निवास आदि के बारे में जानकारी देगा बशर्ते कि ऐसी जानकारी देना बच्चे के हित के प्रतिकूल न हो। समझौते में शामिल देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी जानकारी माँगने पर सम्बद्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई बुरे परिणाम न झेलने पड़ें।

अनुच्छेद 10

1. अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत समझौते में शामिल देशों के दायित्वों के अनुरूप, अगर किसी

भी देश को परिवार के पुनर्मिलन के लिए उस देश को छोड़ने या उससे आने के लिए बच्चे अथवा उसके माता-पिता का आवेदन प्राप्त होता है तो समझौते में शामिल देश ऐसे आवेदनों पर सकारात्मक, मानवीय और तुरंत कार्रवाई करेंगे। समझौते में शामिल देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा आवेदन करने पर आवेदकों और उनके परिवारजनों को बुरे परिणाम न झेलने पड़ें।

2. अगर किसी बच्चे के माता-पिता अलग-अलग देशों में रहते हों तो उसे, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर माता-पिता दोनो से नियमित आधार पर निजी संबंध और सीधे संपर्क रखने का अधिकार होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति और अनुच्छेद 9, पैराग्राफ 2 के तहत समझौते में शामिल देशों के दायित्वों के अंतर्गत, ये देश सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश में प्रवेश करने के बच्चे और उसके माता-पिता के अधिकार का सम्मान करेंगे। लेकिन देश को छोड़ने का अधिकार ऐसे प्रतिबंधों से बाधित होगा जो प्रतिबंध कानून द्वारा

लगाए गए हों और जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वांस्थ्य, नैतिकताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने को आवश्यक हों और इस समझौते में माने गए अन्य अधिकारों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद 11

1. समझौते में शामिल देश बच्चों को गैर-कानूनी तरीके से विदेश भेजे जाने और उनके वापस नहीं लौटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

2. इस उद्देश्य के लिए, समझौते में शामिल देश नये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 12

1. अपने विचार बना सकने वाले बच्चे को समझौते में शामिल देश आश्वस्त करेंगे कि उससे जुड़े हर मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का उसे अधिकार है। बच्चे की आयु तथा परिपक्वता

के अनुरूप उसके विचारों को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा।

2. इस उद्देश्य के लिए, बच्चे को, खास तौर से, बच्चे से संबद्ध किसी न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान, राष्ट्रीय कानून के प्रक्रियात्मक नियमों के अंतर्गत स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा उचित-संस्था के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 13

1. बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में बिना किसी सीमा के, मौखिक, लिखित अथवा मुद्रित रूप में, कला-रूप में अथवा बच्चे के पसंद के किसी और माध्यम से, सभी प्रकार की जानकारी और विचार मांगने, प्राप्त करने और दूसरों को बताने की आजादी का अधिकार होगा।

2. यह अधिकार कुछ प्रतिबंधों के तहत हो सकता है लेकिन ये प्रतिबंध केवल कानूनी तथा आवश्यक होने चाहिए:

(क) अन्य व्यक्तियों के अधिकारों अथवा प्रतिष्ठा के लिए;

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा, अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा नैतिकता के लिए।

अनुच्छेद 14

1. समझौते में शामिल देश विचारों, अंतरात्मा और धर्म की आजादी के बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

2. समझौते में शामिल देश, बच्चे की उभरती क्षमताओं के अनुरूप अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए माता-पिता अथवा (जहाँ प्रयोज्य हो) कानूनी अभिभावकों के बच्चे को दिशा देने के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करेंगे।

3. अपने धर्म अथवा विश्वासों के प्रदर्शन की आजादी पर कानून द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाएं हो सकती हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य अथवा नैतिकताओं अथवा अन्य लोगों के मूलभूत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाये रखने के लिए जरूरी है।

अनुच्छेद 15

1. समझौते में शामिल देश संगठन बनाने की आजादी तथा शांतिपूर्ण तरीके से एंकत्र होने की बच्चों की आजादी के अधिकार को स्वीकार करते हैं।

2. इन अधिकारों के कार्यान्वयन में ऐसे प्रतिबंधों को छोड़कर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते जो प्रतिबंध कानून के अनुरूप हों और जो किसी लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा नैतिकताओं के संरक्षण अथवा अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 16

1. किसी बच्चे की निजता, परिवार, घर और पत्र व्यवहार पर मनमाने और गैरकानूनी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी तरीके से हमला भी नहीं किया जाएगा।

2. बच्चे को ऐसे हस्तक्षेपों और हमलों के खिलाफ कानून के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 17

समझौते में शामिल देश जन संचार माध्यमों की महत्पूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से सूचना और सामग्री मिले, खास तौर पर ऐसे स्रोतों से, जो बच्चे के सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक हित तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, समझौते में शामिल देश:

(क) जन संचार माध्यमों को बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक हित के लिए और अनुच्छेद 29 की भावना के अनुरूप सूचना और सामग्री देने को प्रोत्साहित करेंगे;

(ख) अनेक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऐसी सामग्री के निर्माण, प्राप्ति और आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे;

(ग) बाल-पुस्तकों के प्रकाशन और उनके बच्चों तक पहुँचने का बढ़ावा देंगे;

(घ) अल्पसंख्यक अथवा आदिम वर्गों के बच्चों की भाषागत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान रखने के लिए जनसंचार माध्यमों को प्रोत्साहित करेंगे;

(ङ) अनुच्छेद 13 और 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के हित के प्रतिकूल सूचना और सामग्री से उसके बचाव के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करने के काम में जनसंचार माध्यमों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 18

1. समझौते में शामिल देश इस सिद्धांत की मान्यता सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चे की देखभाल और विकास की माता और पिता दोनों की समान जिम्मेदारी है। बच्चे की देखभाल और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता अथवा (परिस्थिति के अनुरूप) कानूनी अभिभावकों की है। बच्चे का सर्वोत्तम हित ही उनकी बुनियादी चिंता होनी चाहिए।

2. इस समझौते में प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए, समझौते में शामिल

देश माता-पिता और कानूनी अभिभावकों को उचित सहायता देंगे ताकि वे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारियां निभा सकें। समझौते में शामिल देश बच्चों पर उचित ध्यान देने के लिए संस्थाओं, सुविधाओं और सेवाओं के विकास को भी सुनिश्चित करेंगे।

3. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रयास करेंगे कि कामकाजी माता-पिता के बच्चों को बच्चों की देखभाल की ऐसी सेवाओं और सुविधाओं से लाभ उठाने का अधिकार मिले जिसके वे पात्र हों।

अनुच्छेद 19

1. समझौते में शामिल देश ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता-पिता (अथवा माता या पिता), कानूनी अभिभावक (अभिभावकों) और किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में रह रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, चोट अथवा अपमान, उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यहार, दुर्व्यवहार अथवा

शोषण जिसमें यौन-शोषण शामिल है, से बचाया जा सके।

2. इन संरक्षण उपायों में औचित्य के अनुसार, बच्चे और उसकी देखभाल करने वालों को आवश्यक सहायता देने के लिए सामाजिक कार्यक्रम बनाने की प्रभावी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इन उपायों में बच्चों से दुर्व्यवहार रोकने के तथा ऐसे दुर्व्यवहार का पता लगाने, रिपोर्ट किए जाने, उपयुक्त अधिकारी को विचारार्थ सौंपे जाने, जांच, उपचार, दुर्व्यवहार के बाद के घटनाक्रम पर नजर रखना और उचित होने पर न्यायिक कार्यवाही भी शामिल है।

अनुच्छेद 20

1. अगर कोई बच्चा अस्थायी अथवा स्थायी रूप से अपने परिवारिक वातावरण से वंचित है, अथवा उसी के सर्वोत्तम हित में उसे अपने परिवारिक वातावरण में भेजा जाना उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा सरकार की ओर से विशेष संरक्षण और सहायता पाने का अधिकारी है।

2. समझौते में शामिल देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ऐसे बच्चे की देखभाल की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

3. इस देखभाल में, अन्य बातों के अलावा, माता-पिता का दायित्व अन्य व्यक्ति द्वारा संभाला जाना, इस्लामी कानून के अनुसार कफाला, गोद दिया जाना और जरूरी होने पर बच्चे को देख-भाल के लिए उचित संस्था में रखा जाना शामिल है। बच्चे की देखभाल की समस्या के समाधानों का चयन करने में बच्चे की देख-रेख की वर्तमान व्यवस्था की निरंतरता बने रहने तथा बच्चे की जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी पृष्ठभूमि पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

अनुच्छेद 21

समझौते में शामिल देश गोद लेने की प्रथा को मान्यता देते हैं और/अथवा इसकी इजाजत देते हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रक्रिया में बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा और ये देश:

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को गोद दिया जाना केवल सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत होने की स्थिति में ही हो और यह अधिकारी प्रयोज्य कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा सभी संबद्ध और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निर्धारित करे कि माता-पिता, संबंधियों और कानूनी अभिभावकों के साथ बच्चे के संबंध को देखते हुए गोद दिया जाना स्वीकार किया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर, संबद्ध व्यक्तियों ने गोद दिये जाने की जानकारी प्राप्त करके आवश्यक परामर्श के बाद अपनी सहमति दी है;

(ख) यह मानेंगे कि दूसरे देश में गोद दिया जाना बच्चे की देखभाल का वैकल्पिक तरीका तभी हो सकता है जब बच्चे को अपने ही देश के किसी देख-भाल करने वाले या गोद लेने वाले परिवार में नहीं रखा जा सकता अथवा बच्चे के अपने देश में किसी उचित तरीके से उसकी देखभाल नहीं की जा सकती;

(ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे देश में गोद दिए

गए बच्चे को भी वही संरक्षण और जीवन-स्तर मिलेगा जो उसके अपने देश में गोद दिये जाने की स्थिति में उपलब्ध है;

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के सभी उचित कदम उठाएंगे कि दूसरे देश में गोद दिए जाने की स्थिति में, बच्चे को विदेश भेजने से इस काम में शामिल लोगों को कोई अनुचित वित्तीय लाभ न हो;

(ङ) जहाँ उचित हो, वहां इस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था अथवा समझौते करेंगे और इसी दायरे में यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दूसरे देश में बच्चे को भेजे जाने का काम सक्षम अधिकारियों अथवा संगठनों द्वारा किया जाए।

अनुच्छेद 22

1. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेंगे कि अगर कोई बच्चा शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग करता है अथवा लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत शरणार्थी माना

गया है, वह चाहे माता-पिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ हो अथवा न हो, उस बच्चे को उचित संरक्षण और समझौते तथा अन्य ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अथवा मानवीय प्रसंविदाओं, जिसके कि ये देश सदस्य हैं, के अनुसार मिलने वाले अधिकार दिलाने में मानवीय सहायता मिले।

2. इस उद्देश्य के लिए, समझौते में शामिल देश, जैसा वे उचित समझें, संयुक्त राष्ट्र तथा इससे सहयोग करने वाले अन्य सक्षम अंतर-सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग करेंगे ताकि ऐसे बच्चे को संरक्षण दिया जा सके और मदद की जा सके और किसी शरणार्थी बच्चे के माता-पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके ताकि बच्चे के उसके परिवार से पुनर्मिलन के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके। अगर माता-पिता अथवा अन्य परिवारजनों का पता न चल पाए तो बच्चे को वही संरक्षण मिलना चाहिए जैसा किसी भी कारण से परिवारिक वातावरण से अस्थाई

अथवा स्थायी रूप से अलग हुए किसी भी बच्चे को दिए जाने की समझौते में व्यवस्था है।

अनुच्छेद 23

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को पूर्ण और अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए और इस इस जिंदगी में गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा समाज में बच्चे की सक्रिय भागीदारी की सुविधा होनी चाहिए।

2. समझौते में शामिल देश विशेष देखभाल पाने के विकलांग बच्चे के अधिकार को मानते हैं और ये देश आवेदन किए जाने पर पात्र बच्चे और उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार लोगों को, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप, इस तरह की सहायता को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करेंगे जो बच्चे की स्थिति तथा उसके माता-पिता अथवा देखभाल करने वाले अन्य लोगों की परिस्थितियों के अनुरूप होगी।

3. विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार दी जाने वाली सहायता, बच्चे के माता-पिता अथवा उसकी देखभाल कर रहे अन्य लोगों के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, यथासंभव नि:शुल्क दी जाएगी और इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं पुनर्वास सेंवाएं, रोजगार की तैयारी और मनोरंजन के अवसर संभव हो सकें और वह इन्हें ऐसे तरीके से प्राप्त करे जो तरीका बच्चे के यथासंभव पूर्ण रूप से समाज में घुल-मिल सकने तथा उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास सहित व्यक्तिगत विकास के अनुकूल हो।

4. समझौते में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से विकलांगता रोकने के एहतियाती स्वास्थ्य संबंधी उपायों तथा विकलांग बच्चों के चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और कार्य संबंधी उपचार में समुचित जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। इसमें पुनर्वास, शिक्षा तथा व्यावसायिक सेवाओं संबंधी जानकारी की प्राप्ति और दिया जाना शामिल है। समझौते में

शामिल देश इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं, कार्यकुशलता और अनुभव बढ़ा सकें, इस मामले में, विकासशील देशों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 24

1. समझौते में शामिल देश बीमारी के उपचार और फिर स्वस्थ होने के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य संबंधी मानक तथा सुविधाएं प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं। समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगें कि किसी भी बच्चे को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं पाने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

2. समझौते में शामिल देश इस अधिकार के पूर्ण कार्यान्यवन का प्रयास करेंगे और विशेषरूप से, इन क्षेत्रों में उचित उपाय करेंगे:

(क) शिशु तथा बाल-मृत्यु समाप्त करना;

(ख) स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक देखभाल पर विशेष बल देते हुए सभी बच्चों के आवश्यक चिकित्सा

सेवा तथा स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध और सुनिश्चित करना;

(ग) बीमारी और कुपोषण को दूर करने के प्रयास करना; इसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रारंभिक देखभाल के दायरे में, अन्य बातों के अलावा, तुरंत और आसानी से उपलब्ध टैक्नोलॉजी के जरिए और पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पेय जल उपलब्ध करके और पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को पूरी तरह ध्यान में हुए, बीमारी और कुपोषण दूर करने के प्रयास शामिल हैं;

(घ) बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माताओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुनिश्चित करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों, खासतौर से बच्चों और उनके माता-पिताओं को बाल-स्वास्थ्य और पोषण की बुनियादी बातों, स्तन-पान के लाभों, स्वच्छता और पर्यावरण की शुद्धि और दुर्घटनाएं रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें इस बारे में शिक्षा तथा इस

जानकारी के इस्तेमाल में मदद मिले;

(च) स्वास्थ्य ठीक रखने के बारे में एहतियाती देखभाल को बढ़ावा देना, माता-पिता को उचित निर्देश देने की व्यवस्था और परिवार नियोजन की शिक्षा तथा सेवाएं।

3. समझौते में शामिल देश बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह परंपरागत प्रथाओं को समाप्त करने के सभी प्रभावी और उचित उपाय करेंगे।

4. इस अनुच्छेद में माने गए अधिकारों की धीरे-धीरे पूर्ण प्राप्ति के लिए समझौते में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं। इस बारे में, विकासशील देशों की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 25

समझौते में शामिल देश किसी भी ऐसे बच्चे को दिए जा रहे उपचार और उपचार के दौरान उसे रखे जाने से सम्बद्ध अन्य परिस्थितियों की समय-समय पर समीक्षा के अधिकार को मानते हैं, जिस बच्चे को सक्षम

अधिकारियों ने उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की देख-भाल, संरक्षण और उपचार के लिए रखा है।

अनुच्छेद 26

1. समझौते में शामिल देश सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा से लाभ उठाने के हर बच्चे के अधिकार को मान्यता देंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार बच्चे को पूरी तरह यह अधिकार मिल सके।

2. किसी बच्चे द्वारा अथवा उसकी ओर से ऐसे लाभों के लिए आवेदन किए जाने पर, बच्चे और उसकी देखभाल का दायित्व संभाल रहे व्यक्तियों को संसाधनों और परिस्थितियों तथा अन्य बातों का ध्यान रखते हुए, उचित होने पर बच्चे को ये लाभ दिए जाने चाहिए।

अनुच्छेद 27

1. समझौते में शामिल देश मानते हैं कि हर बच्चे को उसके भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए समुचित जीवन-स्तर पाने का अधिकार है।

2. बच्चे के माता-पिता (अथवा माता या पिता) और उसकी देखभाल का दायित्व संभाल रहे अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी योग्यताओं और वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप, बच्चे के विकास के लिए आवश्यक स्थितियां उसे उपलब्ध कराएं।

3. समझौते में शामिल देश, राष्ट्रीय परिस्थितियों और अपने संसाधनों के अनुरूप, इस अधिकार के कार्यान्वयन में माता-पिता और बच्चों के देखभाल का दायित्व संभालने वाले अन्य व्यक्तियों को सहायता देने के उचित उपाय करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सामग्री के रूप में सहायता और सहायता कार्यक्रम, खासतौर से पोषण, वस्त्र और आवास के लिए, उपलब्ध कराएंगे।

4. समझौते में शामिल देश, संबद्ध देश में और विदेशों में रह रहे माता-पिता अथवा बच्चे की वित्तीय जिम्मेदारी वाले अन्य व्यक्तियों से बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराएंगे, खासतौर से ऐसे मामलों में जब बच्चे की वित्तीय जिम्मेदारी वाला व्यक्ति बच्चों के देश में नहीं रहता हो, समझौते

मे शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में शामिल होने, ऐसे समझौते करने और अन्य उपयुक्त व्यवस्थाएं करने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 28

1. समझौते में शामिल देश बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को उपलब्ध कराने में निरंतर प्रगति के निम्न उपाय करेंगे:

(क) प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सभी बच्चों को नि:शुल्क उपलब्ध कराना;

(ख) सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के विकास को बढ़ावा देना और हर बच्चे के लिए इसे सुलभ और उपलब्ध बनाना और जिन बच्चों को आवश्यकता हो, उन्हें नि:शुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता देने जैसे उचित उपाय करना;

(ग) क्षमता के आधार पर सभी के लिए उच्च शिक्षा सुलभ कराने के सभी उपयुक्त उपाय करना;

(घ) सभी बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक सूचना और दिशा-निर्देशन उपलब्ध तथा सुलभ कराना;

(ङ) स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में हीं बच्चों का स्कूल छूट जाने की दर कम करना।

2. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि स्कूल में अनुशासन लागू करने के तरीके बच्चे की मानवीय गरिमा तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हों।

3. समझौते में शामिल देश शिक्षा से संबद्ध मामलों, खास तौर से विश्वभर में अज्ञान और निरक्षता को समाप्त करने तथा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी और शिक्षण के आधुनिक तरीकों की जानकारी सुलभ बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएंगे और इसे प्रोत्साहित करेंगे। इस मामले में, विकासशील देशों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद 29

1. समझौते में शामिल देश इस बात पर सहमत हैं कि बच्चे की शिक्षा को निम्न दिशाओं में निर्देशित किया जाना चाहिए:

(क) बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभाओं तथा मानसिक और शारीरिक योग्ताओ का पूर्ण विकास;

(ख) मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान का विकास;

(ग) बच्चे के माता-पिता, उसकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, जीवन-मूल्यों, बच्चे के निवास तथा उद्गम वाले देश के राष्ट्रीय मूल्यों और बच्चे की अपनी सभ्यता के अलावा अन्य सभ्यताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास;

(घ) सभी देशों तथा जातीय, राष्ट्रीय और धार्मिक समूहों तथा देश के आदिम निवासियों के बीच समझ-बूझ, शांति, सहिष्णुता, स्त्री-पुरुष समानता और मैत्री की भावना के साथ मुक्त समाज में जिम्मेदारी भरे जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना;

(ङ) प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना का विकास।

2. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 28 के किसी भी भाग को शैक्षिक संस्थान खोलने या इन्हें निर्देशित करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के अर्थ में नहीं समझा जाएगा बशर्ते कि इन संस्थानों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के सिद्धान्तों का पालन किया जाए और इन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप हो।

अनुच्छेद 30

जिन देशों में जातीय, धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक और देश के आदिम निवासी रहते है, वहां इन अल्पसंख्यक वर्गों के अथवा आदिम निवासी बच्चे को उसके ग्रुप के अन्य बच्चों के समुदाय में अपनी संस्कृति को मानने, अपने धर्म के बारे में बताने या उसे मानने अथवा अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकर से वंचित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 31

1. समझौते मे शामिल देश आराम करने, खेलने, अपनी उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने और सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं में मुक्त रूप से भाग लेने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. समझौते मे शामिल देश सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन में योगदान देने के बच्चे के अधिकार को सम्मान और बढावा देंगे और सांस्कृतिक, कलात्मक, मनोरंजनात्मक और विश्राम संबंधी गतिविधियों के लिए उपयुक्त तथा समान अवसरों वाले प्रावधानों को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 32

1. समझौते मे शामिल देश आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक या सामाजिक विकास के लिए हानिप्रद कार्यों में संरक्षण के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. समझौते मे शामिल देश इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिएं विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे। इस उदेश्य की प्राप्ति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के संबद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में शामिल देश विशेष रूप से:

(क) रोजगार के लिए न्यूनतम आयु अथवा विभिन्न रोजगारों के लिए अलग-अलग न्यनूतम आयु निर्धरित करेगें;

(ख) रोजगार के घंटों और परिस्थितियों के बारे में उपयुक्त विधान बनाएंगे

(ग) इस अनुच्छेद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दंड़ और अन्य प्रतिबंधों का प्रावधान करेंगे।

अनुच्छेद 33

समझौते में शामिल देश बच्चों को, संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में परिभाषित नशीले पदार्थो के अवैध इस्तेमाल से बचाने और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन तथा तस्करी

में बच्चों को लगाया जाना रोकने के लिए विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षिक उपायों सहित सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 34

समझौते में शामिल यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चों को बचाने का वचन देते हैं। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए समझौते में शामिल देश निम्न बातों को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे -

(क) किसी बच्चे को किसी अवैध यौन-कार्य के लिए फुसलाना या जोर-जबरदस्ती करना;

(ख) बच्चों का शोषण करते हुए उनसे वेश्यावृति अथवा अन्य अवैध यौन कार्य कराना;

(ग) बच्चों का शोषण करते हुए नग्नतापूर्ण कार्यो और सामग्री में उनका इस्तेमाल करना।

अनुच्छेद 35

समझौते में शामिल देश किसी उद्देश्य के लिए और किसी भी रूप में बच्चों का अपहरण, बिक्री और

व्यापार रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 36

समझौते में शामिल देश बच्चों के कल्याण के किसी भी पक्ष के लिए अनुचित शोषण के सभी अन्य रूपों से बच्चों को बचाएंगे ।

अनुच्छेद 37

समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेंगे कि -

(क) किसी भी बच्चे को यातना अथवा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं झेलना पडेगा । अठारह साल से कम आयु के व्यक्तियों को अपराधों के लिए न तो मृत्युदंड दिया जाएगा न ही ऐसा आजीवन कारावास दिया जाएगा जिससे मुक्त होने की आशा न हो;

(ख) किसी भी बच्चो को स्वाधीनता से गैरकानूनी तथा मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे की गिरफ्तारी, नजरबंदी और कारावास का दंड कानून के अनुसार ही होगा और कोई उपाय

कारगर न होने पर ही ऐसे दंड दिए जाएंगे और ऐसे दंडात्मक उपाय यथासंभव कम से कम अवधि के लिए होंगे;

(ग) स्वाधीनता से वंचित हर बच्चे के साथ, मनुष्य की जन्मजात गरिमा को बनाए रखते हुए और ऐसे बच्चे की उम्र के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानवता और सम्मान का व्यवहार किया जाएगा । खास तौर से, स्वाधीनता से वंचित बच्चे को सयानों से अलग तभी रखा जाएगा जब ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में समझा जाए और असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे बच्चे को पत्र व्यवहार और आते-जाते रहने के जरिए अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने का अधिकार होगा;

(घ) स्वाधीनता से वंचित हर बच्चे को कानूनी तथा अन्य उपयुक्त सहायता तुरंत सुलभ होने का अधिकार होगा और स्वाधीनता से वंचित किए जाने की वैधता को किसी अदालत या अन्य सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष चुनौती देने और ऐसी किसी कार्रवाइ पर तुरंत फैसला पाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 38

1. समझौते में शामिल देश सशस्त्र संघर्षों की स्थिति में बच्चों से संबद्ध कानूनों का सम्मान करने और इन नियमों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का वचन देते हैं ।

2. समझौते मे शामिल देश यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेंगे कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति लडाइयों में सीधे हिस्सा न लें ।

3. समझौते मे शामिल देश पन्द्रह से कम आयु के बच्चों को सेना मे भर्ती नहीं करेंगे। पन्द्रह से अठारह वर्ष के व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने के मामले में, समझौले में शामिल देश, इन व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे।

4. सशस्त्र संघर्षो की स्थिति में नागरिकों को बचाने के अंतर्राष्ट्रीय कानूनो के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति के अनुरूप ही, समझौते में शामिल देश ऐसे संघर्ष से प्रभावित बच्चों के संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय करेंगे ।

अनुच्छेद 39

उपेक्षा, शोषण अथवा दुर्व्यवहार के किसी भी रूप, यातना तथा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा दंड के किसी भी अन्य रूप, अथवा सशस्त्र संघर्ष के शिकार बच्चे को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से फिर स्वस्थ बनाने तथा समाज में उसके फिर घुल-मिल सकने को बढ़ावा देने के लिए समझौते में शामिल देश सभी उपयुक्त उपाय करेंगे। बच्चे को पुनः सामान्य बनाने और समाज में उसके पुनःसमन्वय का काम उसके लिए स्वास्थ्यप्रद, आत्मसम्मानपूर्ण तथा गरिमामय वातावरण में किया जाएगा।

अनुच्छेद 40

1. समझौते मे शामिल देश मानते हैं कि ऐसे प्रत्येक बच्चे, जिसने कथित रूप से दंड विधान का उल्लंघन किया है, उस पर ऐसा आरोप है या ऐसा माना गया है, उसे व्यवहार पाने का अधिकार है जो गरिमा तथा महत्व की बच्चे की अनुभूति को बढ़ावा देने के अनुरूप हो, जो मानव अधिकारों

तथा अन्य लोगों की स्वाधीनताओं के प्रति बच्चे के सम्मान को और मजबूत बनाए और जिस व्यवहार में बच्चे की आयु, समाज में बच्चे के फिर घुल-मिल सकने और समाज में बच्चे द्वारा रचनात्मक भूमिका निभाए जाने की वांछनीयता का ध्यान रखा जाए।

2. इस उद्देश्य की प्राप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के सम्बद्ध प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में शामिल देश, विशेष रूप से इन बातों को सुनिश्चित करेंगे —

(क) किसी भी बच्चे पर ऐसे कार्य को करने या अनजाने में हो जाने से दंड कानूनों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जाएगा अथवा यह नहीं माना जाएगा कि उसने कानून तोड़ा है, जिस कार्य को किए जाते समय वह कार्य राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत प्रतिबंधित नहीं था;

(ख) प्रत्येक बच्चे को, जिस पर दंड कानून तोड़ने का आरोप है या उसे दोषी माना जा रहा है, कम से कम निम्न गारंटी मिलेगी —

(i) जब तक वह कानूनन दोषी नहीं साबित हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाए।

(ii) उसके खिलाफ आरोपों की उसे तुरन्त और सीधे और उचित होने पर उसके माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक के जरिए जानकारी दी जाए और अपने बचाव की तैयारी और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में उसे कानूनी अथवा अन्य उपयुक्त सहायता प्रदान की जाए।

(iii) सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी अथवा न्यायिक निकाय द्वारा कानून के अनुसार न्यायपूर्ण सुनवाई के जरिए, बिना देरी के, मामला निपटाया जाए और इस दौरान कानूनी तथा अन्य उपयुक्त सहायता मौजूद हो बशर्ते कि ऐसा करना, खास तौर से बच्चे की उम्र अथवा परिस्थिति, उसके माता-पिता और कानूनी अभिभावक को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के सर्वोत्तम हित में न माना जाए।

(iv) उसे साक्ष्य देने अथवा अपराध स्वीकार करने, प्रतिकूल गवाहों की जांच करने अथवा उनके द्वारा जांच कराए जाने और समानता की शर्तों

के आधार पर अपनी ओर से गवाह पेश करने और उनकी जांच के लिए बाध्य न किया जाए।

(v) अगर यह माना जाएं कि बच्चे ने दंड विधान का उल्लंघन किया है, तो उसे इस फैसले और इसके अनुरूप की गई कार्यवाइयों की कानून के अनुसार ज्यादा उच्च, सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी अथवा न्यायिक निकाय से पुनः समीक्षा की गारंटी मिले।

(vi) अगर बच्चा प्रयुक्त भाषा को समझ अथवा बोल न सके तो उसे दुभाषिये की नि:शुल्क सेवाएं मिले।

(vii) सुनवाई के हर दौर में उसकी निजता का पूरा सम्मान किया जाए।

3. समझौते में शामिल देश दंड विधान के उल्लंघन का आरोप लगे, दोषी समझे गए अथवा जिनके बारे में माना गया है कि उन्होंने दंड विधान का उल्लंघन किया है, ऐसे बच्चों के लिए खासतौर से प्रयोज्य कानूनों, प्रक्रियाओं, अधिकारियों और

संस्थाओं को बढ़ावा देंगे और खास तौर से —

(क) ऐसी न्यूनतम आयु का निर्धारण करेंगे जिससे कम आयु के बच्चे के लिए माना जा सके कि उसमें दंड विधान के उल्लंघन की क्षमता नहीं है;

(ख) जहाँ उपयुक्त और वांछनीय हो, ऐसे बच्चों के मामलों को बिना न्यायिक कार्यवाही के सुलझाने के प्रयास करेंगे लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखेंगे कि मानव अधिकार और कानूनी सुरक्षा के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाए।

4. देखभाल, माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देख-भाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थागत देख-भाल के अन्य विकल्पों जैसे विभिन्न तरीके बच्चों को उपलब्ध हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के साथ उपयुक्त कल्याणकारी व्यवहार हो और यह व्यवहार उनसे अपराध तथा परिस्थितयों — दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

अनुच्छेद 41

इस समझौते की किसी भी बात का ऐसे प्रावधानों पर कोई असर नहीं होगा जो बच्चे के अधिकारों की पूर्त्ति के ज्यादा अनुकूल हों और जो —

(क) समझौते में शामिल देश के कानून अथवा

(ख) उस देश में लागू अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सन्निहित हों।

भाग 2

अनुच्छेद 42

1. समझौते में शामिल इस समझौते के सिद्धांतों और प्रावधानों के बच्चों और व्यस्कों तक व्यापक प्रसार के लिए उपयुक्त और सक्रिय उपाय करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 43

1. इस समझौते में जिन दायित्वों को निभाने का वचन दिया गया है, समझौते में शामिल देशों द्वारा उनकी प्राप्ति में सफलता की जांच के लिए बाल अधिकारों

के बारे में एक समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित तरीके से कार्य करेगी—

2. समिति में इस समझौते के कार्यक्षेत्र से संबद्ध उच्च नैतिक स्तर और मान्य योग्यता वाले दस विशेषज्ञ होंगे। समझौते में शामिल देश अपने नागरिकों में से इन विशेषज्ञों का चयन करेंगे और ये विशेषज्ञ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इन समिति में कार्य करेंगे। इनके चयन में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से और प्रमुख कानूनी प्रणालियों के आधार पर समानता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।

3. समिति के सदस्यों का चुनाव समझौते में शामिल देशों द्वारा मनोनीत लोगों की सूची में से गुप्त मतदान द्वारा होगा। समझौते में शामिल प्रत्येक देश अपने नागरिकों में से एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।

4. समिति का प्रारंभिक चुनाव इस समझौते के लागू होने की तिथि से छह महीने की अवधि तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद हर दूसरे वर्ष समिति का चुनाव होगा। ऐसे चुनाव से कम से कम चार माह पूर्व, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समझौते में शामिल

देशों को सूचित करेंगे कि वे दो महीने की अवधि में अपने नामांकन प्रस्तुत कर दें। इसके बाद महासचिव इन मनोनित सदस्यों और उन्हें मनोनित करने वाले देशों की अकारादि क्रम से सूची तैयार करेंगे और उसे इस समझौते के सदस्य देशों को प्रस्तुत कर देंगे।

5. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव द्वारा आयोजित समझौते में शामिल देशों की बैठक में समिति का चुनाव होगा। इन बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) के लिए दो तिहाई सदस्य देशों की उपस्थिति आवश्यक होगी। समिति के सदस्य वे व्यक्ति चुने जाएंगे जिन्हें सर्वाधिक मत मिलेंगे और उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का पूर्ण बहुमत भी मिलेगा।

6. समिति के सदस्य चार वर्ष के लिए चुने जाएंगे। दुबारा मनोनीत होने पर वे फिर चुनाव में भाग ले सकेंगे। पहले चुनाव में चुने गए सदस्यों में से पांच सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा और ऐसे सदस्यों का चयन बैठक के अध्यक्ष द्वारा लॉटरी निकाल कर किया जाएगा ।

7. अगर समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह इस्तीफा दे दे या वह घोषित कर दे कि वह समिति में अपना दायित्व निभाने की स्थिति में नहीं है तो उसे मनोनीत करने वाला देश अपने देश के विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उस सदस्य के कार्यकाल की बाकी अवधि तक काम करेगा लेकिन इसके लिए समिति की मंजूरी लेनी होगी।

8. समिति अपनी कार्य-प्रक्रिया के नियम खुद तय करेगी।

9. समिति अपने पदाधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए चुनेगी।

10. समिति की बैठक सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अंथवा समिति द्वारा निर्धारित अन्य किसी सुविधाजनक स्थान पर होगी। समिति की बैठक सामान्यत: हर वर्ष होगी। आवश्यक होने पर समिति बैठकों की अवधि का 'निर्धारण और समीक्षा, संयूक्त राष्ट्र महासभा की अनुमति मिलने पर, समझौते में शामिल देशों की बैठक में की जाएगी।

11. इस समझौते के अंतर्गत समिति के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव आवश्यक संख्या में कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

12. संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी पर, इस समझौते के अंतर्गत गठित समिति के सदस्य महासभा द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परिलब्धियां प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 44

1. समझौते मे शामिल देश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जरिए, इस समझौते में मान्य अधिकारों को दिलाने के लिए किए गए उपायों और इन अधिकारों को दिलाने में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(क) देश के समझौते में शामिल होने के दो वर्ष के अंदर;

(ख) इसके बाद हर पांच वर्ष बाद।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समझौते के तहत दायित्वों से जुड़े कारकों और

अगर कोई परेशानिया हो तो उनका उल्लेख किया जाएगा। रिपोर्टों में ऐसी पर्याप्त सूचनाएं भी होगी जिसे समिति को संबद्ध देश में समझौते के प्रावधान लागू करने के बारे में व्यापक ज़ानकारी मिले।

3. समिति समझौते में शामिल देशों से समझौते को लागू करने से संबद्ध और जानकारी देने का भी आग्रह कर सकती है।

4. समिति आर्थिक और सामाजिक परिषद के जरिए, हर दो वर्ष में, महासभा में अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करेगी।

5. समझौते में शामिल देश अपने नागरिकों के लिए इन रिपोर्टों को व्यापक तरीके से उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद 45

इस समझौते के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए -

(क) विशेषज्ञता वाली संस्थाओं, संयूक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को ऐसे प्रावधानों

के कार्यान्वयन के बारे में अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा जो इन संस्थाओं को सौंपे गए कार्य-क्षेत्र में आते हैं। समझौते के ऐसे क्षेत्रों, जो विशेषज्ञ संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और सक्षम संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं, के कार्यान्वयन के बारे में विशेषज्ञ-परामर्श के लिए समिति इन संस्थाओं को आमंत्रित कर सकती है। समझौते के ऐसे क्षेत्रों, जो विशेषज्ञ संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य सक्षम संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में आते हैं, के कार्यान्वयन के बारे मे समिति इस संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट देने के लिए आग्रह कर सकती है;

(ख) अगर समझौते में शामिल कोई देश कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तकनीकी परामर्श अथवा सहायता के लिए प्रार्थना की गई हो अथवा आवश्यकता का संकेत दिया गया हो, तो समिति अगर उपयुक्त समझे तो इन आवेदनों और संकेतों को, अपने प्रेक्षणों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, विशेषज्ञ एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य सक्षम संस्थाओं को प्रस्तुत करेगी;

(ग) समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह सिफारिश कर सकती है कि वह महासचिव से यह अनुरोध करे कि वे महासभा की ओर से बच्चों के अधिकारों से जुड़े विशिष्ट विषयों पर अध्ययन करवाएं;

(घ) इस समझौते के अनुच्छेद 44 और 45 के अंतर्गत सूचना के आधार पर समिति सुझाव दे सकती है या आम सिफारिशें कर सकती है। ऐसे सुझाव और आम सिफारिशें समझौते में शामिल संबद्ध देश को भेजी जाएंगी और समझौते में शामिल देश की टिप्पणीयों के साथ, यदि कोई हों, महासभा को भेजी जाएंगे।

भाग 3

अनुच्छेद 46

इस समझौते पर सभी देश हस्ताक्षर कर सकेंगे।

अनुच्छेद 47

इस समझौते की पुष्टि की जानी है। पुष्टि की प्रसंविदाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 48

कोई भी देश इस समझौते में शामिल हो सकता है। समझौते में शामिल होने की प्रसंविदाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 49

1. यह समझौता पुष्टि या शामिल होने की बीसवीं प्रसंविदा के संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपे जाने की तिथि के तीसवें दिन से लागू हो जाएगा।

2. इस समझौते की पुष्टि करने या इसमें शामिल होने वाला कोई भी देश जिस तिथि को पुष्टि करने या शामिल होने की बीसवीं प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा कर देगा, उसके तीसवें दिन से उस देश में यह समझौता लागू हो जाएगा।

अनुच्छेद 50

1. समझौते में शामिल देश किसी संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास दर्ज कर सकता है। ऐसा होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्रस्तावित संशोधन की जानकारी समझौते

में शामिल देशों को देंगे और इन देशों से यह बताने का आग्रह करेंगे कि क्या वह चाहते हैं कि इन प्रस्तावों पर विचार और मतदान के लिए समझौते में शामिल देशों का सम्मेलन बुलाए जाने के पक्ष में हैं। अगर ऐसा सुझाव समझौते में शामिल देशों को भेजे जाने के चार महीने के अंदर कम से कम एक तिहाई सदस्य देश ऐसा सम्मेलन बुलाए जाने की राय देंगे तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में ऐसा सम्मेलन आयोजित करेंगे। सम्मेलन में उपस्थित और वोट दे रहे सदस्यों के बहुमत से पारित कोई भी संशोधन मंजूरी के लिए महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पारित संशोधन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत और समझौते में शामिल देशों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर लागू हो जाएगा।

3. अगर कोई संशोधन लागू हो जाता है तो इसे स्वीकृत करने वाले देशों के लिए यह बाध्यकारी होगा। अन्य देशों के लिए अब भी इस समझौते

और उनके द्वारा स्वीकृत अन्य पिछले संशोधनों के प्रावधान बाध्यकारी होंगे।

अनुच्छेद 51

1. समझौते में शामिल देशों द्वारा इसकी पुष्टि अथवा इसे मानने के समय विभिन्न मुद्दों पर आपत्तियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्राप्त करेंगे और सभी सदस्य देशों को इन्हें भेजेंगे।

2. इस समझौते के उद्देश्य तथा लक्ष्य से मेल नहीं खाने वाली आपत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अधिसूचना प्रस्तुत करके किसी भी समय आपत्ति वापस ली जा सकती है। इसके बाद महासचिव आपत्ति वापस लेने के लिए जानकारी सभी देशों को देंगे। ऐसी अधिसूचना, महासचिव को प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 52

समझौते में शामिल कोई देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखित अधिसूचना भेजकर इस समझौते को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी अधिसूचना महासचिव को प्राप्त होने

की तिथि के एक वर्ष बाद यह अस्वीकृति प्रभावी हो जाती है।

अनुच्छेद 53

संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस समझौते के दस्तावेजों और प्रसंविदाओं को रखने वाला अधिकारी (संग्राहक) नियत किया गया है।

अनुच्छेद 54

इस समझौते का मूल पाठ, जिसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश पाठ भी उतने ही प्रमाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा रहेगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने, जो अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हैं, इस समझौते के साक्षी-स्वरूप इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत की वचनबद्धता

राज्य, विशेषरूप से, अपनी नीति को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करेगा—

कि श्रमिकों, पुरुषों ओर महिलाओं और सुकुमार उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो ओर आर्थिक आवश्यकता के कारण नागरिकों द्वारा ऐसे व्यवसाय करने को बाध्य नहीं किया जाए जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल नहीं है;

कि बच्चों को स्वस्थ तरीके और स्वाधीनता तथा गरिमापूर्ण परिस्थितियों में विकास करने के अवसर दिए जाएं और बचपन तथा यौवन को संरक्षण मिले ताकि उनका शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग न होने पाए।

(भारत के संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 से उद्धृत)

राष्ट्रीय बाल नीति

भारत सरकार

(22 अगस्त 1974 का संकल्प)

संख्या 1-14/74- सी डी डी — भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार किया। उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित नीति अपनाने का निर्णय लिया गया—

प्रस्तावना

1. राष्ट्र के बच्चे एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनकी देखभाल और चिंता करना हमारी जिम्मदारी है। मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बनें और शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सजग और नैतिक रूप से स्वस्थ बनें। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढ़त की अवधि में सभी बच्चों को विकास के समान अवसर मिलें क्योंकि इससे असमानता कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का हमारा ज्यादा व्यापक उद्देश पूरा होगा।

2. बच्चों की आवश्यकताओं और उनके प्रति हमारे दायित्व संविधान में बताए गए हैं, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में राज्य की नीति को निर्देशित करता है। राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग से इन दस्तावेजों में बताए गए लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इन लक्षयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में यह संकल्प पारित करती है।

नीति और उपाय

3. बच्चों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें जन्म से पूर्व और इसके बाद तथा बढ़त की पूरी उम्र में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य की नीति होगी। राज्य ऐसी सेवाओं का कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ाता जाएगा ताकि समुचित अवधि में देश में सभी बच्चों को उनके संतुलित विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां मिलें। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से, निम्न उपाय किए जाएंगे-

(i) सभी बच्चों को एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा।

(ii) बच्चे की खुराक में कमियां दूर करने के उद्देश्य से पोषण सेवाएं देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(iii) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के आम स्वास्थ्य में सुधार, उनकी देखभाल, पोषण तथा उन्हें पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(iv) राज्य 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा और राष्ट्रीय स्रोतों की उपलब्धता के अनुरूप इस कार्य के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूलों में इस समय बच्चों की, खास तौर से लड़कियों और कमजोर वर्ग के बच्चों की, जो बरबादी और उनके विकास में जो ठहराव आ रहा है, उसे कम करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसे ही वर्गों के बच्चों को स्कूल जाना शुरु करने से पहले अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम भी चलाया जाए।

(v) जो बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(vi) स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों और ऐसा ही अन्य संस्थाओं में शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, खेल और अन्य मनोरंजक तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(vii) अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों और गावों और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(viii) विपन्न सामाजिक परिस्थितियों वाले, अपराधी बन चुके, भिखारी बनाने को मजबूर और अन्य परेशानियों में जी रह बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाया जाएगा और उन्हे देश के लिए उपयोगी नागरिक बनने में मदद की जाएगी।

(ix) बच्चों को अपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाने के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(x) चौदह वर्ष से कम के उम्र के किसी भी बच्चे को जोखिम वाले कामों में लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, न ही उन्हें भारी काम करने दिया जाएगा।

(xi) शारीरिक रूप से विकलांग, संवेगात्मक रूप से उद्वेलित और मंदबुद्धि बच्चों के विशेष उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।

(xii) विपत्तियों और राष्ट्रीय आपदाओं के समय राहत सहायता देने में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(xiii) अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों, खास तौर से कमजोर वर्गों के ऐसे बच्चों, का पता लगाने, प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(xiv) वर्तमान कानूनों में इस प्रकार संशोधन किए

जाएंगे ताकि सभी कानूनी विवादों में, चाहे वे माता-पिताओं के बीच हों अथवा संस्थाओं के बीच, बच्चों के हितों पर सार्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।

(xv) बच्चों के लिए विभिन्न सेवाओं के आयोजन में पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे ताकि सामान्य परिवार, पास-पड़ोस और समुदाय के वातावरण में बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।

कार्यक्रम बनाने में प्राथमिकता

4. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम बनाने में, इन क्षेत्रों से संबद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी—

(क) बच्चों के स्वास्थ्य से संबद्ध, रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य के उपायों वाले पक्षों को बढ़ावा देना:

(ख) स्कूल जाना शुरू करने से पहले बच्चों और शिशुओं के पोषण के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और स्तन-पान करने वाली माताओं के पोषण के कार्यक्रम;

(ग) अनाथ और विपन्न बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था;

(घ) कामकाजी अथवा बीमार माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए बाल-गृह (क्रेच) तथा अन्य सुविधाएं; तथा

(ङ) विकलांग बच्चों की देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन

5. पिछले दो दशकों में हमने उपर्युक्त दिशाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी प्रगति की है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण गतिविधियों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। जहां भी जीवन-स्तर ऊंचा उठा है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हुई हैं। लेकिन सारे काम का ऐसा केन्द्र-बिन्दु और मंच होना जरूरी है, जिसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने में लगी विभिन्न सेवाओं का नियोजन, समीक्षा और समन्वय हो सके। ऐसा

ही केन्द्र-बिन्दु उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक सेवाओं का निरंतर नियोजन, समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही विभिन्न बोर्ड बनाए जा सकते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

6. सरकार ऐसे प्रयास करेगी ताकि बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं और उपयुक्त योजनाएं चलाई जाएं। इसके साथ-साथ, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को, स्वयं या सरकारी सहायता से, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक कल्याण सेवाओं के विकास का अवसर मिलता रहेगा। भारत में स्वयंसेवी कार्य की परंपरा रही है। राज्य का प्रयास स्वयंसेवी कार्य को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने का होगा ताकि राज्य के और स्वयंसेवी प्रयास एक-दूसरे के पूरक बन सकें। बाल कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा इनके विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों, न्यासों, कल्याणकारी तथा धार्मिक संस्थाओं के संसाधनों का हर संभव इस्तेमाल किया जाएगा।

विधायी और प्रशासनिक उपाय

7. इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। विस्तृत हो रहे कार्यक्रमों की ज़रूरतें पूरी करने तथा सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुसंधान-कार्य तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

जनता की भागीदारी

8. भारत सरकार को विश्वास है कि वक्तव्य में बताई गई नीति को समाज के सभी वर्गों तथा बच्चों के लिए काम कर रहे सभी संगठनों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनी भागीदारी निभाने के लिए भारत सरकार अपने नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों का आह्वान भी करती है।

◆◆◆